

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4148/2018

Lalchand Yadav S/o Late Gokul Chand

----Appellant

Versus

Arjun Singh S/o Shree Gopal Singh

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Vinay Mathur

For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

16/10/2023

धारा-5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

प्रार्थना पत्र में इस अपील को देरी से पेश किए जाने का कारण यह बताया गया है कि अपीलार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हुई व अपने अधिवक्ता से समय पर सम्पर्क नहीं हो पाया। उनका निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपीलार्थी पक्ष द्वारा यह अपील अविलम्ब प्रस्तुत की गई है तथा यह अपील, अपीलार्थी/दावेदार पक्ष के महत्वपूर्ण अधिकारों से सम्बन्धित है एवं प्रार्थना पत्र में अंकित कारण सद्भाविक है। अतः इसे प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने की प्रार्थना करते हैं।

प्रार्थना पत्र में अंकित सद्भाविक कारणों, देरी की अवधि 10 दिवस व योग्य अधिवक्ता द्वारा किए गये निवेदन के आधार पर इस अपील को पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा किया जाता है। तदनुसार उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस अपील को समयावधि में पेश होना माना जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि वे प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं, इसलिए उनकी तामील से उन्मुक्ति प्रदान की जाए। निवेदन अनुसार अपीलार्थी की जोखिम पर उन्मुक्ति प्रदान की जाती है।



[CMA-4148/2018]

प्रत्यर्थी संख्या-3 की तामील हेतु आदेशिका शुल्क, नोटिस सही पता सहित **तीन सप्ताह** में पेश करने पर जारी होकर प्रकरण सी एम ए संख्या 4206/2011 के साथ दिनांक **30.1.2024** को सूचीबद्ध हो। उक्त अवधि में पेश नहीं होने पर अपील बिना न्यायालय को संदर्भित हुए निरस्त समझी जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR/88